न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 331/2024

खमुराम पुत्र खीयाराम व अन्य
बनाम
मांगीलाल पुत्र बरसिंगाराम वगैरा

दिनांक 23.03.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रकरण संख्या 185/2023 बअनवान मांगीलाल व अन्य बनाम खमुराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 1 व 2–प्रार्थी–मांगीलाल व सुमेरराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील घंटियाली स्थित ग्राम उदट के खातेदारी खसरा नम्बर 221/135 की उल्लेखित रकबा भूमि की, पुनः पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 से 12 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री पूनाराम विश्नोई एवं प्रत्यर्थी सं0 1 से 2 के अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी व प्रत्यर्थी सं0 36 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.5.25 पर प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण की तामिली से छूट प्रदान की गई।

बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 1 व 2–प्रार्थी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम उदट के ख0नं0 221/135 स्थित है। जिसकी पैमाईश के आवेदन पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचने पर पड़ौसी खातेदारान–अपीलांट्स द्वारा व्यवधान उत्पन्न कर पैमाईश कार्य नही करने दिया। पैमाईश नही होने की वजह से फसल सुरक्षा के अभाव में अत्यधिक आर्थिक नुकशान पर परेशानी हो रही है। अतः माफिक बंटवाडा कायम किये सीमा चिन्हों के पुनः पैमाईश करवाकर, पत्थरगढी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

करवाने का आदेश फरमावे। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, मूल प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना शेष था। इस दरम्यान अधिवक्ताओं की हड़ताल व न्यायिक कार्यों का बहिष्कार रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हड़ताल के दिन अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण में एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। अपीलांट्स ख0नं0 222/135 के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त दोनों खसरों की दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत कोई पैमाईश नही हुई है। जिस पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह पैमाईश रिपोर्ट वर्ष 2023 की एकतरफा है। आरएलआर एक्ट की धारा 111 में निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने पर धारा 128 में पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण मौके पर जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार कब्जाकाश्त नही है अर्थात मौके पर भूमि कम है। प्रत्यर्थी पत्थरगढी की आड़ में अपीलांट्स के खसरान में कब्जा करने की कुचेष्ठा कर रहे है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी ने वादग्रस्त खसरान की भूमि की पैमाईश हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप के राजस्व वाद में पारित निर्णय अनुसार ''मीट्स एवं बाऊण्ड्स'' में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 से 12–अपीलांट्स के मध्य बंटवाडा करवा कर अभिलेख में अमलदरामद करवाने के बाद माफिक बंटवाडा कायम किए गये सीमा चिन्हों से वादग्रस्त खसरान की भूमि की पैमाईश हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया। उक्त क्रम में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पैमाईश कार्य शुरू करने पर दक्षिण पूर्वी पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थी सं0 1 से 12–अपीलांट द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से पैमाईश कार्य नही हुआ। इसलिए प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फसल सुरक्षा एवं अत्यधिक आर्थिक नुकसान से बचाव हेतु पुनः पैमाईश करवाकर, पत्थरगढी का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया। खातेदार अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है।

आलौच्य प्रकरण में अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए, अप्रार्थी सं0 1, 2, 6, 10, 12 व 18 की ओर से वकालतनामें पेश हुए तथा सिमेदार की रिपोर्ट ली

[illegible] शेष अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 3.7.24 को उभय पक्ष की धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा दिनांक 8.7.24 को उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर, मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर, पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.7.24 को रखी गई व बाद बहस अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुतिकरण की दिनांक 24.7.23 से निर्णय दिनांक 19.7.24 तक की आदेशिकाओं में कहीं भी अधिवक्तागण की हड़ताल अथवा न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का उल्लेख नहीं है और न ही इस दिनांक पर कोई तारीख पेशी मुलतवी की गई है। अतः अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि इस कारण उसे सुनवाई/जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। अपीलाधीन आदेश उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पूर्ण बाद बहस पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

[illegible] के मध्य मूल वाद संख्या 199/2017 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.10.2022 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी [illegible] अपील संख्या 312/2023 प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 18. [illegible] द्वारा उक्त अपील खारिज कर, मूल वाद के निर्णय एवं अंतिम डिकी को [illegible] है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट एवं अनापत्ति पर पारित किया गया है। जिसमें पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुए, वादग्रस्त खसरान [illegible] पैमाईश कर, पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

[illegible] अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों [illegible] निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

[illegible] पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर [illegible] का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट एवं अनापत्ति के आधार पर पारित किया [illegible] अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्तागण की हडताल

के बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण में एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुतिकरण की दिनांक 24.7.23 से निर्णय दिनांक 19.7.24 तक की आदेशिकाओं में कही भी अधिवक्तागण की हड़ताल अथवा न्यायिक कार्यो के बहिष्कार का उल्लेख नही है और न ही इस बिनाह पर कोई तारीख पेशी मुलतवी की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत अधिवक्ता संस्थान, बाप जिला जोधपुर के ज्ञापन में दिनांक 19.07.24 को लंच बाद से आधे दिन का तथा दिनांक 20.07.24 का कार्य बहिष्कार की घोषणा का उल्लेख है।

इसी प्रकार अपीलाधीन आदेश में शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का उल्लेख है। इसके अलावा पक्षकारों के मध्य मूल वाद संख्या 199/2017 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2022 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में प्रस्तुत अपील संख्या 312/2023 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 द्वारा, अपील खारिज की जाकर, मूल वाद के निर्णय एवं अंतिम डिक्री को यथावत रखा गया है। अतः प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 माफिक बंटवाडा कायम किए गये सीमा चिन्हों से खातेदारी ख0नं0 221/135 की भूमि की पैमाईश/पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित नही समझता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन मानी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी वाप (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 185/2023 बअनवान मांगीलाल व अन्य वनाम खमुराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.3.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फसल शुमार होकर नंवर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

23/3/26.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर